न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: मांगेराम पूनियां, R.T.S.
मिसल नं. ::: 29/2022

सरकार बनाम महावीरसिहं पुत्र मामराज, जाति–जाट, निवासी–सूर्यनगर

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 24.02.2022

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल महावीरसिंह पुत्र मामराज, जाति–जाट, निवासी–सूर्यनगर, द्वारा रोही मौजा घूमनसर कलां की राजकीय भूमि ख.नं. 304 कुल रकबा 0.71 है0 किस्म गै.मु. रास्ता में से 0.0030 है0 भूमि पर तारबन्दी कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश कर पटवारी हल्का के सीमाज्ञान पर विश्वास नही होना जाहिर करते हुए टीम द्वारा नपती की मांग की गई है, जबकि रिपोर्ट पर भू.अ.नि. खुडानिया की जांच भी अंकित है। इस प्रकार गैर सायलान का जवाब संतोषप्रद नही माना जा सकता। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायलान को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 5 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी/ गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं. 54 पर
वर्ष 2021-22 में रुपये 5/- कायम किए
राजस्व लेखाकार

(मांगेराम पूनिया)
तहसीलदार, सूरजगढ़